Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.04.01.24
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ ज्योति पंत

एसोशिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, युवराज दुत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर

संक्षिप्ति

भारत एक कृषि प्रधान देश है अधिकांश जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है। रोजगार तथा आय के लिए कृषि पर आधारित है। ग्रामीणों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए मनरेगा जैसी महत्वाकांशी राष्ट्रीय योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनरेगा 100 दिन के रोजगार की गरन्टी योजना है। यह विश्व का पहला अभूतपूर्व वैधानिक कानून है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है। यह योजना समाज के वंचित वर्गो-महिलाओ-अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति को रोजगार की प्राथमिकता देता है। इस शोध पत्र में मनरेगा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द- मनरेगा, ग्रामीण रोजगार, समावेशी विकास, पलायन, कोविद-19

प्रस्तावना

आर्थिक उदारीकरण ने जिस समृद्धि को जन्म दिया वह उस अनुपात में रोजगार अवसरों का सृजन करने में सफल नहीं हुई। वास्तविकता तो यह है कि 1980 की तुलना में 1990 के दशक में रोजगार वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिली है इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक उदारीकरण ने व्यापक समूह के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार को जन्म दिया। गरीबी एक ओर भारत के सम्मुख मौजूद चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है यह एक ओर औपनिवेशिक विरासत की ऋणी है तो दूसरी ओर गलत विकास रणनीति का परिणाम। समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र का ही योगदान है आज भी जनसंख्या का लगभग 50% से अधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र में संलग्न है। कृषि क्षेत्र के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ समय से सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। अनेक पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार प्रदायक निर्धनता उन्मूलक ग्रामीण विकास संबन्धित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी है जिसमे से प्रमुख हैं – सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्णजयंती रोजगार योजना, आदि। अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 2 फरवरी 2006 को इस योजना की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 2009 को बापू की 140 वी जयंती पर प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने इसका नया नामकरण किया और नरेगा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) कर दिया गया। प्रारंभिक चरण में इसे देश के 200 जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2007-08 मार्च तक 130 और जिलों में विस्तार किया गया और 5 वर्ष के

Received: 21.03.2021 **Accepted:** 06.04.2021 **Published**: 06.04.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.04.01.24
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

मूल लक्ष्य से पहले 3 वर्ष के भीतर एक अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया इस अधिनियम के तहत यदि किसी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क अकुशल श्रम करने को तैयार हूं तो एक वित्त वर्ष में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

अद्यायन का उद्देश्य

- मनरेगा योजना के द्वारा समावेशी विकास का अध्ययन करना।
- विभिन्न वर्षो में मनरेगा से प्रभावित ग्रामीण आर्थिक सामाजिक स्तिथी का अध्ययन करना।
- मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत चल रही योजनाओं में उत्पन्न समस्याओं का अवलोकन करना।

मनरेगा और समावेशी विकास

2004 में सर्वप्रथम मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार का नारा दिया गया इसके लिए विकास की रणनीति में परिवर्तन करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अवसंरचना और विकास को केंद्रीय महत्व दिया गया। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल मनरेगा के रूप में देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर इन सब प्रक्रियाओं ने मिलकर विकास को स्मृधी में रूपांतरित करने और उसको समावेशी विकास का रूप देते हुए ग्रामीण शहरी विभेद को कम करने की सीमित संदर्भों में ही सही लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसका संकेत 11वीं पंचवर्षीय योजना की समृद्धि के साथ समावेशी विकास से मिलता है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कई विकास एवं रोजगार परक योजनाएं चलाई रे इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था मनरेगा भी इसी क्रम में एक प्रयास है।

इस कानून की विशेषताएं

- समय बध्ध रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान।
- रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के वास्ते प्रोत्साहन हतोत्साहित।
- रोजगार उपलब्ध कराने की 90% हार केंद्र बहन करता है।
- श्रम प्रधान कार्यो के कारण ठेकेदारों और मशीनों के प्रयोग को रोकना।
- इस कानून में महिलाओं की 33% भागीदारी का भी प्रावधान है।
- मनरेगा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भागीदारी का भी प्रावधान है।

Received: 21.03.2021 **Accepted:** 06.04.2021 **Published**: 06.04.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.04.01.24
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

मनरेगा के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजनाएं

- मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत रोजगार गारंटी सुनिश्चित कराना है अधिनियम की अनुसूची के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं:
- जल संरक्षण तथा जल संचय।
- सूखे से बच्चे के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण। सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभान्वित हों या इंदिरा आवास योजना के लाभान्वित हों को जमीन तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना।
- परंपरागत जल स्रोतों के नवीनीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियंत्रण एवं सुखा परियोजनाएं जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों से जल की निकासी।
- शहज आवाजाही हेतु गांव में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना। सड़क निर्माण परियोजनाओं में आवश्यकतानुसार पुलिया का निर्माण कराना एवं गांव के भीतर सड़कों के साथ-साथ नालियां भी बनाना।
- राज्य सरकार के साथ परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कराई गई अन्य परियोजनाएं।

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वालों की संख्या

तालिका 1

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या (करोड़ मे
2014-15	6.22
2015-16	7.23
2016-17	7.57
2017-18	7.59
2018- 19	7.77
2019-20	7.89

श्रोत – CAG Report

Received: 21.03.2021 **Accepted:** 06.04.2021 **Published**: 06.04.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.04.01.24
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

तालिका से स्पष्ट है की 2014-15 से 2020-21 तक मनरेगा के अंतर्गत क्रमशः 6.22 करोड़ व्यक्तियों को तथा 7.89 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

तालिका-2

मजदूरी दरों में विभिन्नता

मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी अलग अलग राज्य में अलग है। सबसे अधिक मजदूरी देने वाले पांच राज्य निम्न वत है:

राज्य	मजदूरी
हरियाणा	309
केरल	291
गोवा	280
कर्नाटक	275
पंजाब	263

तालिका 2 से स्पष्ट है हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी 309 रुपये प्रतिदिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम मजदूरी ₹190 प्रति दिन है।

तालिका-3

सभी व्यक्तियों को वास्तव में 100 दिन की मजदूरी नहीं मिलती है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है:

वर्ष	वास्तविक कार्य दिवस	घरेलू कार्य दिवस की मांग
2016-17	39.91 लाख	5.12 करोड़
2017-18	29.55 लाख	5.12 करोड़
2018-19	52.59 लाख	5.27 करोड़
2019-20	40.6 लाख	5.48 करोड़

Received: 21.03.2021 **Accepted:** 06.04.2021 **Published**: 06.04.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.04.01.24
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

तालिका 3 से स्पष्ट है 2019-20 तक वास्तविक कार्य दिवस 40.6 लाख थे जबकि घरेलू कार्य दिवस की मांग 5.48 करोड़ थी जो यह स्पष्ट करता है की मनरेगा में सभी को कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है। 13.77 करोड़ पंजीकृत जॉब कार्ड मजदूर थे जिसमें से की सक्रिय जॉब कार्ड धारक 7.69 मजदूर थे।

कोविड-19, प्रवासी मजदूर एवं मनरेगा

मार्च 2020 में जब संपूर्ण विश्व कोविड-19 के कारण ग्रसित था। बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया। इसका प्रभाव विभिन्न राज्यों में रहने वाले मजदूरों के ऊपर पड़ा और दूसरे राज्य में गए हुए प्रवासी मजदूर को अपने गांव लौटना पड़ा।उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से मजदूर रोजगार की तलाश में पंजाब, दिल्ली कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बहुत से मजदूर काम करने व रोजगार की तलाश में गए हुए थे लॉकडाउन के कारण उन्हें वापस अपने गांव आना पड़ा। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा और मनरेगा इन प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 11 करोड मजदूरों को इसके अंतर्गत काम मिला। 100 दिन काम करने वाले लोगों की संख्या 40 लाख से अधिक थी। जहां 2019 में 1.5 मिलियन व्यक्तियों को मनरेगा में कार्य मिला ।वहीं अप्रैल- मई 2020 में 3.5 मिलियन मजदूरों को इसके अंतर्गत कार्य मिला।

मनरेगा से लाभ

- इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्टडी से पता चला है कि जिस जिलों में रोजगार गारंटी योजना लागू की गई वहां खाने के सामान की महंगाई उन जिलों की अपेक्षा ज्यादा थी जहां लागू नहीं की गई थी। इससे सिद्ध होता है कि इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को खर्च करने की शक्ति प्रदान की है।
- इस योजना से पलायन में कमी आई है। पंजाब से दूसरे राज्यों से मजदूर अब नहीं आ रहे। यहां बिहार से पहले बड़ी संख्या में मजदूर आते थे। मजदूरों के बिहार मे रहने को मनरेगा की उपलब्धि माना जा रहा है।
- मनरेगा से उद्योगों को भी लाभ हुआ है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उद्योग ने भारत से भारत सरकार से ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम ओं को जारी रखने का आग्रह किया है। उद्योग के अनुसार इन स्कीमों से पूरे देश में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों की खपत को बढ़ावा मिल रहा है।
- मनरेगा से डाकघरों को लाभ मिला है। कोरियर कंपनियों की चुनौती से निपटने के लिए तमाम तरकीबें अजमा रहे भारतीय डाक विभाग को नहीं संजीवनी मिल गई है। सरकार की महत्वकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारतीय डाक व्यवस्था को पुरानी पहचान लौटाने

Received: 21.03.2021 **Accepted:** 06.04.2021 **Published**: 06.04.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.04.01.24
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

में मदद कर रही है ।इस योजना के अंतर्गत कारोबारी साल 2008-09 में डाकघर घरों में 3.12 करोड़ नए बचत खाते खोले गए है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सिर्फ आंध्र प्रदेश में इस योजना के लिए डाकघरों में एक करोड़ खाते खोले गए। 2018 तक गांव में कुल बैंक कार्यालयों की संख्या 5 गुना बढ़कर 5,59,547 हो गई थी।

- मनरेगा योजना का गरीबी निवारण पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है पुलिस। सशक्तिकरण के अवसरों और मजदूरी की दरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आई है। मनरेगा के कार्यान्वयन के बाद कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी विभिन्न राज्यों में बड़ी है।
- इस योजना का क्रय क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की दर और कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि से ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ गई है। आमदनी बढ़ने के परिणाम स्वरूप ग्रामीण परिवारों की अनाज व अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने, शिक्षा परिवारों की अनाज अन्य आवश्यक वस्तुओं के खरीदने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति व्यय करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है।
- मनरेगा के अंतर्गत कुल मानव दिवस रोजगार का है मेसी 47% रोजगार महिलाओं को दिए गए।
- द इंडिया फोरम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ लगातार खराब चल रही थी मनरेगा जैसी योजनाएं अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण रोजगार देकर अपनी उपलब्धि दर्ज करा रही थी

मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख समस्याएं:

- वेतन की दरों में अनिश्चितता।
- ग्राम सभा की सूचनाओं की समय से और संपूर्ण जानकारी प्राप्त ना होना।
- कार्यस्थल पर मानकों के अनुसार सुविधा का अभाव।
- मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड आवंटन में पक्षपात की समस्या।
- मनरेगा के अंतर्गत बैंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अत्यधिक ग्रामीणों ग्रामीण श्रमिकों की संख्या के कारण अनावश्यक कार्यभार बढ़ता है।
- मनरेगा के अंतर्गत ग्राम प्रधानों की मनमानी व भ्रष्टाचार भी एक समस्या है।
- सही समय पर भुगतान ना होना और फंड की निकासी में भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं मनरेगा के सामने आ रही हैं।
- **छोटे व सीमांत किसानों द्वारा खेती छोड़कर मनरेगा में मजदूरी करने के कारण कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।**

Received: 21.03.2021 **Accepted:** 06.04.2021 **Published**: 06.04.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.04.01.24
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

निष्कर्ष

मनरेगा रोजगार अधिकार को साकार ज़देने की दिशा में एकदम है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है जिससे लोगों को रोजगार के नियमित अवसर उपलब्ध हो सके हैं। साथ ही इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सूखा वनों के विनाश भूमि कटाव जैसी अनेक समस्याओं को भी संबंधित किया गया है। जिसके कारण बड़े पैमाने पर गरीबी उन्मूलन जैसी समस्याओं को रोकने में सफलता मिली है। इस कानून के उचित क्रियान्वयन से रोजगार द्वारा गरीबी के भौगोलिक नक्शे को बदला जा सकता है इस प्रकार मनरेगा ने सामाजिक समावेशन और आर्थिक समावेशन दोनों में ही ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जरूरत इस बात की है कि इस योजना को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए प्रभावी नियंत्रक व पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। इसके लिए सामाजिक ऑडिट की अत्यंत अनिवार्य आवश्यक व्यवस्था हेतु हर स्तर पर नियमित रूप से निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है और राज्यों को मनरेगा के प्रत्येक कार्य का 3 महीने के भीतर सामाजिक ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने से आने वाले समय में मनरेगा जैसी महत्वकांक्षी योजना पलायन गरीबी निवारण बेरोजगारी जैसी व्यापक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) हरिनंदन कुशवाहा, भारती देवी(2018)," मनरेगा योजना एवं निर्धनता": उत्तर प्रदेश की एक गांव का समाजशास्त्रीय अध्ययन", शोध मंथन, जून 2018,पृष्ठ सं 100-111 ISSN:0976-522

(2) Sharma,A.(2014),'MGNREGA-An Alternative to Migration, 'Kurukshetra - A Journal of Rural Development', Vol.62 No.11 pp26-28

(3) Vasanthi,S.(2017) ' MNREGA scheme and Empowerment of Rural Women in Selected Blocks in Tiruchirapalli District' Paripex- Indian Journal of Research Vol.6 Issue.9, September 2017, ISSN-2250-1991

Received: 21.03.2021 **Accepted:** 06.04.2021 **Published**: 06.04.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.04.01.24
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

(4) Arya A.P.,Meghana, S.,Ambily A.S.(2017)' Study on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) and Women Empowerment with reference to Kerala', Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 9(5) pp 74-82, January 2017

(5) जायसवाल, एस.(2015),' मनरेगा द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में', अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

(6) Singh,Nandini,'Impact of MNREGA on Migration and Asset Creation, Report submitted to International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics Patancheru, Andhrapradesh, India icrisat@cgiar.org

(7) Pamecha,Indu, Sharma,A.(2015),'Socio Economic Impact of MNREGA: A Study Undertaken Among Beneficiaries of 20 villages of Dungarpur District of Rajasthan' International Journal of Scientific and Research Publication, Vol.5, Issue 1 ,January 2015, ISSN 2250-3153

(8) Narayan, S.(2015),'MGNREGA works and their Impacts :A study of Maharashtra 'researchgate.

(9) Ahuja,Usha Rani etc.al(2015),'Impact of MNREGA on and Migration:A study in Agriculturally backward and Agricultural advance District of Haryana,'Agricultural Economics Research Review Vol.24,Conference paper pp.495-502

Received: 21.03.2021 **Accepted:** 06.04.2021 **Published**: 06.04.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.04.01.24
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

(10) Book on Impact Assessment Study of MNREGA

(11) CAG report 2013,chapter 8 'Works'

(12) CAG report 2020

Received: 21.03.2021 **Accepted:** 06.04.2021 **Published**: 06.04.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.